P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW,MATHURA

Paper 5th, Paper Name- मुस्लिम विधि Unit -1st

(Muslim Law)

प्रश्न –1 मुस्लिम विधि के विभिन्न स्त्रोत क्या है विधि के स्रोत में इजमा के महत्व की विवेचना कीजिये

अध्याय 3 मुस्लिम विधि के स्त्रोत (SOURCES OF MUSLIM LAW

विधि के स्रोत से तात्पर्य उन मौलिक सामग्रियों से है जिनसे विधि की विषय वस्तु प्राप्त की जाती है। मुस्लिम विधि के स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है

(क) प्रधान स्रोत (Primary Sources), और

(ख) गौण स्रोत (Secondary Sources) ।

(क) प्रधान स्त्रोत (Primary Sources)

1. कुरान–कुरान मुस्लिम विधि का सर्वोच्च और सार्वत्रिक (Paramount and universal) प्रमाण है। उसमें अल्लाह के द्वारा अपने पैगम्बर को दिया गया दैवी संदेश निहित है । कुरान 114 अध्यायों (सुरा) का एक ग्रन्थ है। कुरान के सभी अध्याय हजरत मोहम्मद (स०) के व्यक्तिगत निर्देशानुसार उनके अनुयायियों द्वारा व्यवस्थित किये गये हैं। जब भी कोई वाक्य (verse) नाज़िल होती तो हज़रत मोहम्मद (स०) स्वयं बताते कि इसे किस अध्याय में जोड़ना है।

कुरान में कुल 6666 आयतें हैं, जिनमें से लगभग दो सौ आयतें विधिक सिद्धान्तों से सम्बन्धित हैं । विधि से सम्बन्धित आयतों में से लगभग 80 आयतें पारिवारिक विधि (विवाह, मेहर, तलाक और विरासत) से सम्बन्धित हैं।कुरानस्वत: कोई पूर्ण संहिता नहीं है वह संहिता के रूप में नहीं वरन् खण्डों में प्रकट हुआ है। वह लगभग 23 वर्षों (सन् 609 632 ई०) में प्राप्त हुआ और पैगम्बर साहब के जीवन काल में संग्रहीत और क्रमबद्ध नहीं किया गया अबूबकर ने , जो पैगम्बर साहब के बाद खलीफा हुए और सन् 634 ई० में मरे, पहली बार कुरान के विभिन्न लेखांशों का संग्रह कराया । फिर 16 वर्ष बाद तीसरे खलीफा उस्मान ने उसका पुनरावलोकन कराया। इस पवित्र किताब को अध्यायबद्ध करने का कार्य निम्नलिखित सहाबियों के निर्देशन में हुआ और इन्होंने ही कुरान के संकलन का कार्य भी किया। ये हैं –ज़ैद (हज़रत साबित के पत्र), अब्दुल्लाह (जुबैर के पुत्र) सईद (आस के पुत्र) और अब्दुल रहमान (हैरिस के पुत्र) । इस कार्य को अत्यन्त ही सावधानी और तुलनात्मक विधि द्वारा पूर्ण कर खलीफा को भेंट किया गया | खलीफ़ा ने इस ग्रन्थ की बहुत सी प्रतिलिपियाँबनाकर इस्लाम के विभिन्न केन्द्रों पर भिजवाया और इस पवित्र किताब की ही बाद में और प्रतिलिपियाँ बनवाई गईं। इसके लेखांशों को जो दूसरे व्यक्तियों के कब्जे में थे लेकर जला दिया गया । हजरत मोहम्मद साहब भी अपने साथियों से कहा करते थे कि कुरान को दिल से याद कर लिया करो और लिखा करो। इसी कारण मुसलमानों का इस पवित्र किताब से इतना प्रेम एवं लगाव है कि इसके संग्रह के

PGS National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

लगभग एक हजार वर्ष बाद भी वह अपने उसी वास्तविक (original) रूप में मौजूद है । कुरान की प्रमुख विशेषताएं अधोलिखित हैं

(1) वह समय और महत्व की दृष्टि से मुस्लिम विधि का प्रधान स्रोत है।

(2) उसमें पैगम्बरमोहम्मद से कहे गये अल्लाह के ही शब्द अन्तर्विष्ट हैं।

(3) वह कोई संहिता (Code) नहीं है। तैय्यबजी का यह अवलोकन है कि कुरान संहिता न होकर एक संशोधी (Amending) अधिनियम है।

(4) मूलत: उसका उद्देश्य था–(क) सामाजिक सुधार, जैसे–सूदखोरी, बहुविवाह, जुआ आदि दूषित रिवाजों को दूर करना,और (ख) दण्ड के नियमों को लेखबद्ध करना।

(5) कुरान सुरा या अध्यायों में विभक्त है और इनकी संख्या 114 है। प्रत्येक अध्याय का अलग अलग नाम है। ये अध्याय काल क्रम से नहीं रखे गये हैं वरन् प्रथम अध्याय को छोड़कर सबसे बड़ा अध्याय पहले , तब उससे छोटा, फिर उससे छोटा इत्यादि लघुतर क्रम में रखे गये हैं।

(6) कुरान केवल विधि ग्रन्थ ही नहीं वरन् इसमें मजहब (धर्म), नीतिशास्त्र और राजनीतिशास्त्र की बातों की बहुतायत है। धर्म, विधि और नैतिकता की बातें कहीं–कहीं इस प्रकार मिश्रितहैं कि उन्हें पृथक करना आसान नहीं है ऐसा विश्वास किया जाता है कि धर्म और नैतिकता सम्बन्धी कुरान की आयतें (verses) मक्का में प्रकट (reveal) हुईं और विधि सम्बन्धी आयतें मदीना में उतरीं। विधि सम्बन्धी आयतों की संख्या 200 है जो कि विभिन्न अध्यायों में बिखरी पड़ी हैं।

कुरान विधि के स्रोत के रूप में

इस्लामिक विधि के स्रोत के रूप में कुछ नियम (लेख) कुरान के निम्न अध्यायों में मिलते हैं। जैसे –अलबकर (गाय), अल–इमरान (इमरान का परिवार), अल–निसा (औरत), अल–मैदा (भोजन), अन्–नूर (रोशनी) और बनी–इस्राइल (इस्राल का परिवार) । इन अध्यायों में निहित नियम निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित हैं

(i) अवैध रीति–रिवाजों का दमन जैसे बालिका वध, जुआ, शराब पीना, बहु विवाह इत्यादि।

(ii) सामाजिक सुधार जैसे विवाह, तलाक, स्त्री की स्थिति, पर्दा इत्यादि।

(iii) अपराध विधि में चोरी, वध इत्यादि की सज़ा से सम्बन्धित।

(iv) दुश्मन के साथ व्यवहार तथा सम्पत्ति के विभाजन से सम्बन्धित निर्देश ।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

(v) युद्ध एवं शान्ति की अन्तर्राष्ट्रीय विधि , तथा ज़िम्मी (Non-muslim) की सम्पत्ति तथा उसके साथ व्यवहार।

इस्लाम से पूर्व नाज़िल (revealed) विधि की वैधिकता

इस्लाम से पहले भी अल्लाह की किताब नाज़िल हुई जैसे-तौरात, ज़ुबूर तथा इंजील और इन सब में विधि के नियम दिये गये हैं। जहाँ तक इन नियमों की वैधानिकता का प्रश्न है, विधिवेत्ता इस पर एकमत नहीं हैं। हनफ़ी स्कूल का मानना है कि पूर्व धर्मों के नियमों को मानना तब तक जरूरी नहीं जब तक कि उसके सम्बन्ध में कुरान में स्वीकृति न दी गई हो। इसका कारण यह हो सकता है कि अल्लाह की वे किताबें अब अपने वास्तविक रूप में उपलब्ध नहीं हैं।

अर्थान्वयन करने में कुरान प्राचीन व्याख्याओं में दी हुई सुव्यवस्थाओं (rulings) के अधीन हैं । आगा मोहम्मद बनाम जफ्फारकुलसुमबीबी के वाद में प्रिवी काउन्सिल के मान्य न्यायाधीशों ने यह धारण किया कि जब कुरान के किसी लेखांश का हेदाया या इमामिआ में किसी विशेष रूप से अर्थान्वयन कर दिया गया तो न्यायालयों को उसका कोई भिन्न अर्थ लगाने का अधिकार नहीं है।

2. सुन्नत और अहादिस (हदीस : Traditions) प्रगतिशील होने के कारण मुस्लिम समाज के सामने ऐसी समस्याएं आती थीं जिनके बारे में कुरान खामोश था। अपने जीवन-काल में पैगम्बर अपने विनिश्चय देते थे, कुछ काम स्वयं करते थे और इस्लाम द्वारा अनुमत कुछ कामों को मौन स्वीकृति द्वारा होने देते थे । परिणामत: पैगम्बर के द्वारा जो कुछ किया गया या जिसका मौन समर्थन किया किया गया वह समय और प्रामाणिकता की दृष्टि से कुरान के बाद मुस्लिम विधि का एक प्रधान स्रोत बन गया और 'सुन्नत' कहलाया सुन्नत अथवा अहादिस से तात्पर्य पैगम्बर साहब की परम्परा से है। इस्लाम धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि दैवी आकाशवाणियों के दो प्रकार हैं -प्रत्यक्ष (जाहिर) और अप्रत्यक्ष (वातिन) । प्रत्यक्ष आकाशवाणी खुदा के ही शब्दों में उतरी है और इन्हें खुदा ने देवदूत जिब्राइल के माध्यम से मोहम्मद साहब के पास भेजा। ऐसी आकाशवाणियाँ कुरान में निहित हैं। अप्रत्यक्ष (बातिन) आकाशवाणी खुदा के शब्दों में नहीं है, बल्कि पैगम्बर साहब के शब्दों, कार्यों अथवा मौन स्वीकृति के रूप में है। परन्तु इन आकाशवाणियों की ईश्वर (खुदा) द्वारा ही प्रेरणा प्राप्त हुई। यही अप्रत्यक्ष आकाशवाणी ही सुन्नत या परम्परा है। इस प्रकार, कुरान खुदा के ही शब्दों में है, जब कि परम्पराएं मोहम्मद साहब के वचनों, कार्यों या मौन स्वीकृति को कहा जाता है। परन्तु परम्पराएं मोहम्मद साहब के जीवन काल में लेखबद्ध नहीं की गईं। वे प्राधिकृत लोगों की स्मृति में पुश्त -दर-पुश्त रक्षित चली आयीं। यही कारण है कि हदीस की स्वीकृति से पहले उनकी सूक्ष्म जाँच आवश्यक है। इस प्रकार हदीस को , जिसकी एक व्यक्ति के द्वारा पुष्टि की जाती है, खबर अलवाहिद कहते हैं, जो कि एक कमजोर हदीस है। जब हदीस बहुत सी घोषणाओं द्वारा प्रमाणित होती है , तो वह मजबूत हदीस कहलाती है । पैगम्बर साहब की मृत्यु के समय कुरान

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

और सुन्नत ही मिलकर मुस्लिम दीवानी, फौजदारी और धार्मिक विधि के आधार थे कुरान में स्वयं हदीस के महत्व के बारे में बताया गया है।कुरान कहता है -"जो कुछ पैगम्बर मुहम्मद देते हैं उसे स्वीकार करो और जिसे यह मना करते हैं उससे तुम दूर रहो। "-49 : 7 एक जगह कुरान में कहा गया है -"यह अपनी स्वयं की इच्छा से कुछ नहीं बोलते हैं। यह वही कहते हैं जो इन पर अल्लाह द्वारा प्रकट (reveal) किया गया है।" दूसरी जगह कुरान कहता है ,"तुम अल्लाह और उसके पैगम्बर की बात मानो। " (IV : 58) एक बार पैगम्बर साहब ने अपने अनुयायियों से कहा - "मैं तुम्हारे पास दो चीजें छोड़ रहा हूँ -अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत। जब तक तुम इन्हें पकड़े रहोगे भूल से बचे रहोगे । " हदीस की किस्में (Kinds of Traditions)-- उद्भव की रीति के आधार पर हदीसों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है

(1) सुन्नत-उल-फेल (Sunnat-ul-feil)-ऐसी परम्पराओं में पैगम्बर साहब के आचरण सत्रिहित हैं। पैगम्बर साहब के द्वारा किये गये कृत्य ऐसी परम्पराओं की श्रेणी में आते हैं।

(2) सुत्रत-उल-कौल (Sunnat-ul-qual)-अर्थात् पैगम्बर साहब द्वारा दी गयी व्यवस्था और उनके वचन। पैगम्बर साहब के द्वारा दिये गये उपदेश ऐसी सुन्नत के अन्तर्गत आते हैं।

(3) सुन्नत-उल-तकरीर (Sunnat-ul-tagrir)

इज्मा का महत्व -समय बीतने, सभ्यता का विकास होने और इस्लाम का प्रसार होने पर बहुत सी ऐसी समस्याएं उठीं जिनका हल 'कुरान' और 'अहादिस' के निर्देश से नहीं किया जा सकता था इसलिये विधिवेत्ताओं ने इज्मा का सिद्धान्त (अर्थात् किसी विशेष प्रश्न पर किसी विशेष काल के मुस्लिम विधिवेत्ताओं की सहमति) निकाला। प्रत्येक मुसलमान इज्मा के निर्माण में भाग लेने के योग्य नहीं माना जाता था केवल मुजतहिद (विधिवेत्ता) ही इज्मा के निर्माण में भाग ले सकते थे मुजतहिद होने के लिये आवश्यक योग्यता यह थी कि प्रथम, ऐसा व्यक्ति मुसलमान हो, द्वितीय, उसे विधि का पर्याप्त ज्ञान हो और तृतीय, वह स्वतन्त्र निर्णय देने की क्षमता रखता हो। विधिवेत्ताओं के मतैक्य से विधिनिर्माण की प्रक्रिया को इज्तिहाद कहा गया । परन्तु मुजतहिद (विधिवेत्तागण) बिना किसी आधार के निर्णय नहीं दे सकते थे उन्हें अपनी राय को कुरान अथवा परम्परा के आधार पर न्यायोचित सिद्ध करना आवश्यक रहता था।

इज्या के प्रकार-इज्मा निम्नलिखित तीन प्रकार का होता है

(1) पैगम्बर के साथियों (companions) का इज्मा--अब्दुर्रहीम अपने विधिशास्त्र में कहते हैं-"पैगम्बर साहब के साथियों के इज्मा को बड़ा महत्व दिया जाता है, क्योंकि साथी पैगम्बर के दृष्टिकोण से प्रेरित थे और पैगम्बर साहब के निकट रहने के कारण वे लगभग उन्हीं के समान तर्क-रीति अपनाते थे। हनबली विचार

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

पद्धति केवल ऐसे इज्मा को ही मान्यता प्रदान करती है ऐसी इज्मा मुस्लिम दुनिया में सर्वत्र स्वीकार्य है और इसे पश्चात्वर्तीइज्मा से निरस्त नहीं किया जा सकता।"

(2) विधिवेत्ताओं का इज्मा -इस सम्बन्ध में इन पदों पर मतभेद है -(क) इज्मा की विरचना की ठीक प्रक्रिया, जो कहीं लेखबद्ध नहीं की गई है, (ख) इज्मा की विरचना के लिये आवश्यक विधिवेत्ताओं की ठीक संख्या, (ग) क्या इज्मामतैक्य से होता है या बहुमत के विनिश्चय से , (घ) क्या विधिवेत्ताओं के विनिश्चय के कारणों का भी उल्लेख करना चाहिये, और (ङ) क्या इज्मा होने के लिये सब विधिवेत्ताओं को एक साथ बैठना चाहिये? अब्दुर्रहीम का कहना है कि इज्मा के ऐसी किसी औपचारिकता (Formality)की जरूरत नहीं है। परन्तु विधिवेत्ताओं के इज्मा का महत्व तभी हो सकता है जब वे इसके लिये पुरी तौर से अर्हतावान (Qualified) हों और जीवन में अपनी राय न बदलें।

(3) जनता का इज्मा-विधि को दृष्टि में विधिक प्रश्नों पर मुस्लिम जनता के इज्मा का कोई महत्व नहीं है, परन्तु धर्म (मजहब), नमाज और अन्य बातों में उसे बड़ा महत्व प्राप्त है।

(ख) गौण स्त्रोतSecondary Sources)

5. उर्फ (रिवाज अथवा रूढ़ि)-(Custom) - रूढ़ि (रिवाज) को मुस्लिम विधि के स्त्रोत के रूप में कभी मान्यता नहीं दी गई, यद्यपि अनुपूरक (Supplementary) के रूप में उसका कभी-कभी उल्लेख पाया जाता है। अब्दुर्रहीम का कहना है कि "मुस्लिम विधिक पद्धति का मूल आधार किसी अन्य विधिक पद्धति के समान ही उन लोगों के रिवाजों और आचारों में पाया जाता है जिनमें उसका विकास हुआ। " अरब निवासियों की वे रूढ़ियाँ और आचार , जो पैगम्बर साहब के जीवन काल में सुव्यक्त रूप से निरस्त नहीं किये गये थे, पैगम्बर साहब की खामोशी से बनी विधि के द्वारा अनुमोदित माने जाते हैं। यह आमतौर से कहा जाता है कि रूढ़ियों या उर्फ (तअम-उल-अदत) का विधि के स्त्रोत के रूप में वही स्थान है जो इज्मा का और उनकी मान्यता उन्हीं सूत्रों पर आधारित है जिन पर इज्मा की। 'हेदाया' में यह लेखबद्ध है कि सुव्यक्त सूत्र के अभाव में रूढ़ि का स्थान 'इज्मा' के समान है। विद्वानों द्वारा 'इज्मा' के समान रूढ़ि को समान प्रामाणिकता प्रदान नहीं की गई है। परन्तु रूढ़ि से अनुमोदित व्यवहार , सादृश्य से व्युत्पन्न विधि के नियम विरुद्ध होते हुए भी विधितया प्रवृत्त होता है , तथापि उसे कुरान के किसी स्पष्ट सूत्र या किसी परम्परा के प्रतिकूल नहीं होना चाहिये। ऐसी रूढ़ि को , जिसे विधि के समान मान्यता प्राप्त हो, देश में सामान्यतया प्रवृत्त होना आवश्यक है। यह जरूरी नहीं है कि उसका उद्भव पैगम्बर के साथियों के वक्त में हुआ हो। रूढ़ि का यह अनिवार्य गुण है कि वह क्षेत्रीय (Territorial) हो, अतएव एक देश की रूढ़ि दूसरे देशों की विधि पर प्रभाव नहीं डाल सकती (रुढ़ि की प्रामाणिकता तभी रह सकती है जब तक कि वह प्रवर्तन में रहे , जिसके कारण एक काल की रूढ़ि की दूसरे काल में मान्यता नहीं रह जाती। 6. न्यायिक विनिश्चय (Judicil Decisions)-इसमें प्रिवी काउन्सिल , उच्चतम न्यायालय और भारत के उच्च

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

न्यायालयों के विनिश्चय आते हैं। वादों का विनिश्चय करने में न्यायमूर्ति विधि को प्राख्यापित (enunciate) करते हैं। ये विनिश्चय भविष्य के वादों के लिये दृष्टान्त समझे जाते हैं । दृष्टान्त केवल विधि के साक्ष्य ही नहीं , बल्कि उनके स्रोत भी होते हैं और विधि के न्यायालय दृष्टान्तों का अनुसरण करने लिये बद्ध होते हैं

7. विधायन (Legislation)–भारतीय विधान मण्डल के अधिनियमों ने , जैसे कौसीद (Usurious) ऋण अधिनियम, धार्मिक सहनशीलता अधिनियम , धर्म–स्वातन्त्र्य अधिनियम 1850 संरक्षण और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890, मुसलमान वक्फ मान्यता अधिनियम 1913 मुसलमान वक्फ अधिनियम , 1930, बाल विवाह निग्रह अधिनियम , 1929, शरिअत अधिनियम, 1937, मुस्लिम विवाह–विच्छेद अधिनियम, 1939, भारतीय संविदा अधिनियम , 1872 और मुस्लिम महिला (विवाह–विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 ने मुस्लिम विधि को काफी सीमा तक प्रभावित, अनुपूरित और संशोधित किया है।

8. न्याय, साम्या और सद्विवेक (Justice, Equity and Good Conscience)–न्याय, साम्या और सद्विवेक भी मुस्लिम विधि के एक स्रोत समझे जा सकते हैं। सुन्नियों के हनफी शाखा के संस्थापक अबूहनीफा ने यह सिद्धान्त स्पष्ट किया।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

प्रश्न-2 मुस्लिम विधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विचार पद्धतियों का वर्णन कीजिए

मुस्लिम विधि की विचार पद्धतियाँ-

पैगम्बरमोहम्मद साहब के देहावसान के पश्चात् यह प्रश्न उठा कि शासक कौन बने। एक पक्ष उत्तराधिकार के सिद्धान्त के पक्ष में था और दूसरा निर्वाचन (Election) के पक्ष में। शिया लोग कहते थे कि उत्तराधिकार के आधार पर पद प्राप्त होना चाहिये और इमाम (प्रमुख) का पद पैगम्बर साहब के वंशजों तक ही सीमित रहना चाहिये। सुन्नी लोग 'जमाअत' (मुस्लिम समुदाय) द्वारा चुनाव के सिद्धान्त का समर्थन करते थे और उन्होंने अपने खलीफा को मतदान के द्वारा चुना। शिया लोग 'जमआत' के प्राधिकार से इन्कार करते थे और सुन्नी लोग उसका समर्थन करते थे। मुस्लिम विधि की दो मुख्य विचार-पद्धतियाँ हैं-सुन्नी और शिया। ये दोनों सम्प्रदाय भी कई विचार पद्धतियों में बंटे हुये हैं। अधिकांश मुसलमान सुन्नी हैं, इसलिये जब तक विरुद्ध प्रमाण न हो, यह पूर्वधारणा कर ली जाती है कि किसी वाद के पक्षकार सुन्नी ही होंगे।

मुस्लिम सम्प्रदाय और उनकी विचार-पद्धतियाँ

मुस्लिम सम्प्रदाय (Sects)

1. सुनी विचार-पद्धतियाँ हनफीमालकीशाफईहनबली

2. शिया विचार-पद्धतियाँ असना-अशारिया या इमामियाइस्माइलियाजैदियाअखबरी खोजा उसूली बम्बई के बोहरे

3. मोताजिला

इस तरह मुसलमानों के तीन सम्प्रदाय (फिरके) - (1) सुत्री, (2) शिया और (3) मोताजिला हैं।

सुन्नी-सम्प्रदाय (Sunni Sects)

विधिवेत्ता जिन्होंने विधिशास्त्र की इस विचार पद्धति का विकास किया और जिनके नामों पर मुस्लिम विधि की चारों सुन्नी विचार पद्धतियों के नाम पड़े, वे निम्नलिखित हैं

(i) अबूहनीफा(सन् 699 से 766 ई० तक)

(ii) मलिक इन-अनास(सन् 713 से 795 ई० तक)

(iii) मोहम्मदअश-शफी(सन् 767 से 820 ई० तक)

(iv) अहमदइब्नहनबल (सन् 780 से 855 ई० तक)

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

इमाम अबुहनीफा–(80 अ० हि० से 150 अ० हि०) (699 ई० से 767 ई०)

अबुहनीफाअननौमानइब्न साबित, जो कि इमाम अबुहनीफा के नाम से प्रचलित हैं और जिन्होंने हनाफी स्कूल की नींव रखी थी, इनका जन्म 80 अ० हि० में कुफा में हुआ था। आपने इस्लामिया विधिशास्त्र की शिक्षा कुफा शहर में प्राप्त की। आपको अनस से मिलने का सौभाग्यप्राप्त हुआ जो कि ह० मो० (स०) के साथी थे।

विधि सिद्धान्तों को विकसित करने का तरीका

इमाम अबूहनीफा के सिद्धान्त कुरान और हदीस पर आधारित थे । उनके अनुसार कुरान अपने मौलिक रूप में अनन्त है । वह खुदा के उपदेशों और शब्दों का संग्रह है तथा इसको खुदा से अलग नहीं किया जा । सकता है।

उनके अनुसार कुरान ही विधि का पहला और मुख्य स्रोत है। नैतिक सिद्धान्तों का भी यही मुख्य स्रोत . है। दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत उनके अनुसार वह परम्पराएं हैं जो विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न तरीकों से व्यक्त की गई। वह किसी भी परम्परा को स्वीकारने और अस्वीकार करने में काफी सख्ती बरतते थे । यह भी कहा जाता है कि हज़रत मोहम्मद (स०) के रिवाजों के सम्बन्ध में भी वह काफी सावधान रहते थे । क्योंकि उनके समय में जालसाजी आम बात थी। इब्तखालदून ने लिखा है कि इमाम अबुहनीफा ने सिर्फ सत्रह परम्पराओं को बताया है तथा क़यास और अनुमान को ही अधिक महत्व दिया था। इसका मतलब वह अनुमान जो कुरान के संदेशों पर आधारित होते थे और उनकी राय द्वारा परखे हुए होते थे इसमें कोई शक नहीं है कि वह समकालीनों की अपेक्षा किसी भी विधि समस्या के हल को पाने के लिये परम्पराओं पर कम और क़यास पर अधिक बल देते थे। इसके बावजूद यह कहना गलत है कि अबुहनीफा को परम्पराओं का ज्ञान नहीं था या वह उनको विधि का वैध स्रोत नहीं मानते थे।

क़यास को वरीयता–

अबुहनीफा पहले विधिवेत्ता थे जिन्होंने क़यास को वरीयता प्रदान की तथा क़यास की मदद से नयेसिद्धान्तों को विकसित करने के लिये नियमित नियम निर्धारित किये।

इमाम अबुहनीफा और इजमा (एकमत विचार)–अबुहनीफा ने इज्मा अथवा एकमत विचार के सिद्धान्तों को भी कबूल किया। आपका इजमा के प्रति काफी विस्तारपूर्वक एवं परिपूर्ण नजरिया था जो समकालीन विधिवेत्ताओं को भी मात करता था । कुछ लोगों की यह राय थी कि इजमा की प्रामाणिकता हज़रत मोहम्मद (स०) तक ही सीमित रखनी चाहिये एवं कुछ उनके उत्तराधिकारी तक मान्य हैं मगर अबुहनीफा ने इज़मा की प्रामाणिकता को हर काल में मान्य माना है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

उर्फ अथवा रीति और इस्तिदलाल –अबुहनीफा ने स्थायी प्रथाओं को भी विधि का स्रोत माना है। यह अलअशबाह वन नधाइर में पाया जाता है । बहुत सारे निर्णायक फैसले स्थानीय रीति रिवाजों की मदद से लिये गए थे। अब विधि सिद्धान्तों में तबदील कर दिये गये हैं ।

इमाम अबुहनीफा एक मापन (आकलन)

(1) वह पहले विधिवेत्ता थे जिन्होंने इस्लामिक विधि सिद्धान्तों का क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन किया। अबुहनीफा ने अपना पूरा जीवन पवित्र कुरान और हृदीसों के प्रकाश में विधि सिद्धान्तों की संरचना में लगा दिया। वास्तव में इस्लामिक विधि–शास्त्र इनकी अमूल्य सेवाओं के लिये हमेशा ऋणी रहेगा।

(2) वह उच्च कोटि के विधिवेत्ता थे । विधि के क्षेत्र में साधारणत: इनकी तुलना जस्टीनियन से की जाती है। दोनों ही विधि के लिये समर्पित तथा दोनों ने ही सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने की चेष्टा की, दोनों ने ही नई पीढ़ी के लिये पर्याप्त तत्व दिये जिससे कि वह भविष्य में होने वाली समस्याओं का समाधान कर सकें परन्तु इन दोनों महान विभूतियों में एक अन्तर था। और वह यह कि अब हनीफा स्वयं एक विधिवेत्ता थे बल्कि उन्हें उस युग के विधिवेत्ताओं का गुरु कहा जाना चाहिये । जबकि जस्टीनियन एक सम्राट था जो विधिवेत्ताओं को प्रोत्साहित करता था।

इमाम मलिकइब्नअनस (93 अल० हिजरी० 179 अल० हि०)

इमाम मलिकइब्नअनस का जन्म सन् 93 अल० हिजरी (713 ई०) में हुआ था इनका पूरा नाम अबूअब्दुल्लाहमलिकइब्नअनस था। इमाम मलिक एक पारम्परिक व्यक्ति ही नहीं अपितु एक महान विधिवेत्ता भी थे, जिन्होंने मुस्लिम विधिशास्त्र के स्कूल की स्थापना की जो कि बाद में उनके नाम पर मालिकी स्कूल के नाम से जाना जाता है। वे अत्यन्त भाग्यशाली थे जो हज़रत मोहम्मद (स०) में शहर मदीना में पैदा हुए और वहीं शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने मस्जिद ए० –नबवी में विधि एवं धर्म पर अपने भाषण दिये।

मदीना की परम्पराओं एवं रीति–रिवाजों की ओर झुकाव–

इमाम मलिक का झुकाव अधिकतर हज़रत मोहम्मद (स०) के रिवाजों और उनके साथियों द्वारा बनाये गये सिद्धान्तों की ओर था। अन्य स्रोतों के असफल होने की परिस्थिति में वे पूर्व निर्धारित निर्णयों को अधिक मान्यता देते थे। वे मदीना के रीति –रिवाजों एवं परम्पराओं को अधिक मान्यता देते थे क्योंकि उनका मानना था कि यह हज़रत मोहम्मद (स०) के समय से चली आ रही है। इसके अलावा मलिकइब्नअनस एक व्यावहारिक विधिविज्ञ, एक कार्यकुशल न्यायाधीश थे। वे दिन प्रतिदिन आने वाली समस्याओं में व्यस्त रहते थे

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

इजमा या आम सहमति–इमाम मलिक और उनके स्कूल ने जिस सिद्धान्त पर अधिक बल और यथार्थता दी वह आम सहमति (इजमा) का सिद्धान्त था मालिकी केवल हज़रत मोहम्मद (स०) के साथियों और उनके उत्तराधिकारियों जो कि मदीना में रहते थे, को ही प्रामाणिक मानते थे तथा और लोगों की राय को कोई महत्व नहीं देते थे।

इमाम मलिक का हदीस एवं मुस्लिम विधि के क्षेत्र में योगदान

इमाम मलिक का सबसे बड़ा कार्य किताब – अल–मुल्वत्ता (रास्ता दिखाना) है यह इस्लामिक विधिशास्त्र की सुन्नी शाखा का सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ है। इमाम मलिक की मुळ्वत्ता 'फिक' को आसान में तरीके से व्यक्त करती है। इसका विकास हिजाज़ के रूप में मदीना में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य कानून एवं न्याय की सेवा करना है तथा उन रिवाजों को जो इज्मा एवं सुन्ना के दृष्टिकोण से ठोक नहीं थे , धर्मशा्त्रों के अनुरूप ढालना है। अब्बासी काल में प्रचलित धार्मिक कानून के समय में भी परस्पर विरोधी धारणाओं में से सुगम रास्ता निकालने का प्रयास किया जाता था व्यावहारिक रूप से इसे अलमुव्वत्ता कहते थे, मालिक की इच्छा हिजाज की प्रथा के अनुसार कल्याण करने की एवं मदीना के परम्पराओं को संहिता के रूप में क्रमबद्ध करने की थी।

अब्बासियों के खलीफा जैसे हारुनरशीदमामन , अमीन ने भी इससे परामर्श लिया था। हदीस के क्षेत्र में किसी और किताब को प्रसिद्धि प्राप्त नहीं है न ही कोई और किताब मुवत्ता की भाँति प्रामाणिक है। इस कारण इमाम शाफी ने कहा था –आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर पवित्र कुरान के बाद मुवत्ता ही सबसे प्रामाणिक किताब है।

इमाम मलिक के अन्य कार्य –फेहरिस्त में इमाम मलिक के अन्य लेख दर्ज हैं। कुछ लेखकों को इस सम्बन्ध में संदेह है कि उन्होंने मुवत्ता के अतिरिक्त कोई और किताब भी लिखी थी। उनके द्वारा लिखी गई किताबें दो भागों में आती हैं –कानूनी एवं अन्य । विधि के क्षेत्र में – किताब अलसुनान, अथवा अलसुन्ना (फेहरिस्त 199–9.16) जो इब्नेवहाब एवं अब्दअलाइब्नअब्दअलहकमअल मिस्त्री के द्वारा बताई p. गई। दूसरी किताब अलमनासिक (अलसयूतिp. 40) किताब मुदजलासात/जो इब्नवहाव द्वारा बताई गई। रिसाला फीलअकदियाअवद अल्लाह द्वारा इ लअब्दअलदजालीत एवं रिसाला फील फतवा खालिदइब्न नज़र एवं मुहम्मद इब्नमुतारिफ्फ द्वारा बताई गई।

इमाम मलिक का प्राक्कलन

1. उनका महत्वपूर्ण योगदान –इमाम मलिक का महत्वपूर्ण योगदान उनकी किताब मोवत्ता है । इस किताब के महत्व के सम्बन्ध में इमाम शाफाई ने कहा था कि आसमान के नीचे एवं जमीन के ऊपर

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

पवित्र थी। कुरान के बाद यही सबसे प्रामाणिक किताब है। इमाम मलिक के योगदान की यह महत्ता एवं श्रेष्ठता

2. एक परम्परावादी एवं महान विधिवेत्ता-- इमाम मलिक एक उच्च श्रेणी के परम्परावादी एवं विधिवेत्ता थे। उन्होंने फिक की शिक्षा महान विधिवेत्ता राबिया-इन-फारुक से प्राप्त की जो कि राबियतअल राय के नाम से जाना जाता है।

3. विधि शिक्षा, परम्पराओं, रीतिरिवाज एवं मदीना की प्रथाओं के समर्थक -इमाम मलिक का यह मानना था कि विधि शिक्षा मदीना तक ही सीमित नहीं है तो भी वह वहीं पर ज्यादा पाई जाती है तथा महत्वपूर्ण बात जो उस पवित्र शहर से जुड़ी थी वह यह थी , कि हज़रत मोहम्मद साहब (स०) ने वहाँ पर शरण ली थी एवं अपने मिशन का अधिकभाग वहीं से प्रारम्भ किया था। मदीना हज़रत मोहम्मद साहब (स०) का निवास स्थान समझा जाता था एवं मदीना के सारे निवासी उनके साथी एवं शिष्य थे। उनको हज़रत मोहम्मद साहब (स०) को करीब से जानने का अवसर प्राप्त हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब के हर शब्द एवं उनके कार्य लोगों के हृदय में दर्ज थे जिसके फलस्वरूप उनके कार्यों एवं क्रियाकलापों में सच्ची इस्लामिक भावना दिखती थी। इसलिये वह उन परम्पराओं को ज्यादा वरीयता देते थे जो कि मदीना के लोगों द्वारा हस्तान्तरित की गई थीं। वह चाहते थे कि लोग मदीना के रीतिरिवाजों को अपनाएं क्योंकि यह इस्लाम की सच्ची भावना को व्यक्त करती है।

(4) धार्मिक एवं स्वतंत्र व्यक्तित्व के व्यक्ति या भाविक -इमाम मलिक एक धार्मिक आदमी थे जिन्होंने अपना सारा जीवन इस्लामिक विधि की शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में व्यतीत किया था । वह एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के स्वामी थे जो कभी किसी राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुके एवं अपना निर्णय बिना किसी भेदभाव के देते थे।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

प्रश्न 3 मुस्लिम विधि एक दैवीय विधि है व्याख्या कीजिए

1 मुस्लिम विधि का आधार मुस्लिम विधि ' अल कुरान' पर आधारित है , जिसका अस्तित्व मुसलमान आदिकाल से अचाह की सत्ता में मानते हैं तथा इसे मानव के समक्ष प्रस्तुत करने वाले मुहम्मद साहब को 'रसूल अल्लाह' अर्थात् अल्ह का दूत (Messenger of God) मानते हैं। इसकी आयतें , जो इन्सान को उनके अन्तिम ईशदूत मोहम्मद के द्वारा ज्ञात हुई "कलामे अल्लाह' (ईश्वर के वचन) तथा निश्चायक समझी जाती हैं । धर्म और अध्यात्म के अतिरिक्त कुरान में विधिशास्त्र भी अन्तर्विष्ट है जो 'शरअ' का मुख्य आधार है। कुरान अल -फुरकान है अर्थात् यह असत्य से सत्य को और अनुचित से उचित को दर्शाता है। कुरान आल्हा द्वारा पैगम्बर साहब को सम्बोधित संवादों के एक क्रम के रूप में है। ये संवाद जनता के सामने पैगम्बर साहब के पैगम्बर बनने के बाद तेईस वर्षों के दौरान भिन्न -भिन्न अवसरों पर प्रकट किये गये और उनमें, ज्यों -ज्यों प्रश्न उठते गये, विभिन्न समस्याओं से संव्यवहार किया गया है। परन्तु जब कभी किसी विषय पर कुरान मौन है तो सुलत अथवा "सुलाह" (अर्थात्, जो कुछ पैगम्बर साहब ने कहा, किया था जिसकी उन्होंने अव्यक्त अनुमति दी थी) और "हदीस" (अर्थात् पैगम्बर साहब की उक्तियाँ, उक्तियों या कार्यों का वर्णन अथवा अव्यक्त अनुमोदन) से सहायता ली जाती है। मुसलमानों के द्वारा ये सब कुरान के अनुपूरक समझे जाते हैं और उसी कोटि के हैं।

2. पैगम्बर साहब से पहले 'ऐयाम-इल-जाहिलिया'- मोहम्मद साहब के पैगम्बर होने के पहले इस्लामी कानून का कोई अस्तित्व नहीं था और अरब निवासी जातियों की कोई सामान्य विधि नहीं थी। वे कबीलों में बंटे हुए थे। प्रत्येक कबीले का एक मुखिया (Chief) या सरदार हुआ करता था , जिसका चुनाव प्राय: साहस, जान और कुलीनता (High descent) के आधार पर किया जाता था। प्रत्येक कबौले का अपना निजी कानून होता था और झगड़े मुखिया या तलवार द्वारा तय किये जाते थे। अरब के कबीलों में आपस में युद्ध हुआ करते थे। अरब में मूर्ति पूजा का प्रचलन था , बहुविवाह हुआ करते थे तथा अरब समाज खानाबदोश (घरहीन तथा भ्रमणशील) था। मुसलमान अपनी पूर्ण सम्पत्ति वसीयत के माध्यम से अन्तरित कर सकता था। उत्तराधिकार से स्त्रियाँ अपवर्जित (वंचित) यी और पुरुष उत्तराधिकारियों में भी केवल पुत्र पिता, पितामह, भाई, चचेरा भाई ही सम्पत्ति प्राप्त करते थे , अर्थात कुल के पुरुष वंशजों एवं पूर्व जों के अतिरिक्त अन्य किसी भी सम्बन्धी को , चाहे वह कितना ही निकटस्थ हो , उत्तराधिकार से सम्पत्ति नहीं मिलती थी। लोंग अनेक प्रकार के बुत (मूर्ति) के रूप में नाना प्रकार की देवी शक्तियों को चलि द्वारा पूजते थे। अत: यह समय मूर्तिपूजा (Idolatry) का काल कहा जाता अरब के लोग रेगिस्तान से प्रेम करते थे। बदला लेने की भावना को एक पवित्र कार्य माना जाता था। ये स्वतन्त्रता प्रेमी थे और साथ साथ साहसी भी थे। ऐसे अव्यवस्थित समाज में पैगम्बर मुहम्मद समाज सुधारक के रूप में आये और लोगों में इस्लाम धर्म का प्रचार किया। मुस्लिम विधि का जन्म इस्लाम के अभ्युदय से हुआ।.

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

इस्लाम क्या है?–पैगम्बर साहब के कथनानुसार वाणी की निर्मलता और आतिथ्य (Hospitality) ही. इस्लाम है, पैर्य और नेकी ही दीन या आस्था (faith) है। नेकी से सुख और बदी से दुख का बोध ही दोन का लक्षण है तथा जिस कार्य को करने में अपने हो चित्त को चोट पहुँचे बही पाप है। इस्लाम और उसका अर्थ (Islams and its significance)धार्मिक भाव में इस्लाम से तात्पर्य अलाह की इच्छा के लिये आत्मसमर्पण कर देना है और धर्म निरपेक्ष भाव में इस्लाम का अर्थ शांति की स्थापना है। ″ सलामी धातु, जिससे ″इस्लाम' शब्द बना है, का तात्पर्य हैं धैर्य रखना , विज्ञान्त रहना, अपना कर्तव्य पालन करना , प्राणों का भुगतान करना , पूर्णतया अक्षब्ध रहना और परम मित्र को अपने को समर्पित कर देना। इस्लाम का अर्थ होता है –शांति, अभिवादन (Greeting), सुरक्षा और मोक्ष (Salvation) | इस्लाम के उपदेश (The Teaching of Islam)कुरान के उपदेश यह स्पष्ट करते हैं कि इस्लाम संसार के आरम्भ से अस्तित्व में है और प्रलय (कयामत) के दिन तक इसका अस्तित्व रहेगा। मोहम्मद साहब धर्म को मनुष्य द्वारा पालन योग्य एक सीधा और स्वाभाविक कानून समझते थे, जिसमें कि कोई पेचीदगी या संदिग्धता नहीं थी। इस्लाम में इन्सानों के बन्धुत्व की भावना है। इस्लाम की यह मान्यता है कि अल्लाह ने हो उन सबको पैदा किया है। वह उन सब को बराबर समझता है। इन्सान के स्वार्थ से उत्पन्न साम्प्रदायिक भावना और अन्य अवरोध दूर कर दिये गये हैं और धर्म के आधार पर किये गये विभाजन (तकसीमें) उचित नहीं माने जाते हैं और धर्म की शिक्षा हर प्रकार की गुटबन्दी के विरुद्ध है। पैगम्बरमोहम्मद ने लोगों को बताया कि श्रेष्ठता कर्म में रहती है। इस प्रकार एक मुसलमान के लिये जीवन का अन्तिम उद्देश्य प्राप्त करने के संघर्ष में यह बड़ा संसार सहकारिता के लिये महान क्षेत्र है। इस्लाम प्रथमतः कर्तव्यशीलता का मजहब है मानव –सेवा और परोपकार हो विशेष रूप से अलह की खिदमत और उपासना (परस्तिश) है। जो इन्सान पर मेहरबानी नहीं करता. उस पर अल्लाह भी मेहरबानी नहीं करेगा।

मुस्लिम विधि का सम्बोध–मुसलमानों की विधि दैवीय प्रकाशन (revelation) पर आधारित है और उनके धर्म से मिश्रित है। सर अब्दहोम के शब्दों में ″हुकुम वह है जो आगाह के पैगाम (खिताब) के द्वारा, इन्सान के क्रियाकलाप के सन्दर्भ में मांग या उदासीनता जाहिर करते हुए या मात्र घोषणात्मक (Declaraiory) रूप में कायम किया गया हो।″ इसलिये मुस्लिम विधिशास्त्र का पहला सिद्धान्त है खुदा में ईमान निष्ठा और कार्यों पर उसके प्राधिकार की स्वीकृति । दूसरा सिद्धान्त है मोहम्मदसाहव की पैगम्बरी में विश्वास। इस्लाम में आबाह ही एक मात्र विधायक है और अल्लाह के बाद सार्वभौम (Soverign) शक्ति जनता में निहित है। पैगम्बरमोहम्मदव्यवस्थाकार हैं और कुरान हो विधि का ग्रन्थ है। इस कारण कानून को धर्म से पृथक करना सम्भव नहीं है।

कुरान और परम्परा (Tradition) मुस्लिम विधि अध्यात्म, रसूम और नैतिक नियमों की पद्धति दो आधारों पर रचित है 'कुरान और परम्परा। विधि को स्पष्ट करने के लिये मुस्लिम विधिवेत्ता इस्लाम के पूर्व की रूढ़ियों

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

का जिक्र नहीं करते। वस्तुत: मोहम्मद के आचार (Tradition) में उनके सुन्नाः (आचरण) तथा अहादिश (उपदेश या बक्तव्य) दोनों ही सम्मिलित हैं।

पैगम्बर साहब की परम्परा 'सुन्नाः और अहादिस'–पैगम्बर साहब के देहावसान के बाद ईश्वरीय प्रेरणा के जीवित स्रोत का अन्त हो गया। धार्मिक और सांसारिक नेतृत्व में उनके उत्तराधिकारियों का ईश्वरीय प्रेरणा का कोई दावा नहीं था। वे 'कुरान' को ही इस दुनिया और दूसरी दुनिया के लिये मार्गदर्शक मानते थे । उसका सम्मानपूर्वक स्मरण, पाठ, अभिलेख, अध्ययन और पालन किया जाता था। नयी समस्याओं का हल पैगम्बर साहब के जीवन की घटनाओं और उनकी उक्तियों के मतलब लगाकर उनके साथियों द्वारा किया जाता था। पैगम्बर साहब ने कहा था कि ″दो मार्गदर्शक छोटे जाता हैं–एक 'कुरान' और दूसरा अपना आचार 'सुन्नाः । कुरान के मूल पाठ को इस्लाम के सभी फिरके स्वीकार करते थे , लेकिन रिवाजों अर्थात 'इदीस' के, जो पैगम्बर की उक्तियों और उनके कार्यों के अभिलेख थे, अर्थान्वयन विभिन्न थे और जब हम उनके प्रयोग पर नजर डालते हैं तो हम विधि को विभिन्न विचार पद्धतियाँ देखते हैं। यद्यपि 'सुभराः' और 'हृदीस' अभिलेखबद्ध नहीं किये गये थे, फिर भी समय–समय पर झगड़े तय करने में और पैगम्बर साहब द्वारा निषिद्ध कार्य करने से रोकने में उनके उत्तरजीची साथी उन्हें उपयोग में लाते थे।

धार्मिक आदेश (Religious Injunctions). 'शरिअत' के अन्तर्गत पांच तरह के धार्मिक आदेश (मजहबी अहकाम) हैं–

(1) फर्द (Fard)–जो सख्ती से मुसलमानों पर लागू है, उदाहरणार्थ, प्रतिदिन पाँच बार नमाज पढ़ना फर्द है।

(2) हराम (Haram)–जो मुसलमानों के लिये वर्जित है. उदाहरणार्थ, शराब पोना हराम है।

(3) मन्दूब (Mandub)–जिनके पालन की मुसलमानों को सलाह दी गई है , उदाहरणार्थ, ईद के समय अतिरिक्त नमाज पढ़ना बंद है।

(4) मकरूह (Makruh)–जिन्हें न करने की मुसलमानों को सलाह दी गई है , उदाहरणार्थ, कुछ विशेष प्रकार की मछलियाँ खाना मकरूह है।

(5) जायज (Jaiz)–वे बातें जिनके प्रति इस्लाम उदासीन है, उदाहरणार्थ, हवाई जहाज से यात्रा करना जायज है।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.